न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— मिथलेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 2016/00158

1. पूजा पुत्री लखविन्द्रसिंह पौत्री बलदेवसिंह जाति कम्बोज निवासी चक 17 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता लखविन्द्रकौर पत्नी लखविन्द्रसिंह।
2. रविन्द्रसिंह पुत्र लखविन्द्रसिंह पौत्र बलदेवसिंह जाति कम्बोज निवासी चक 17 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता लखविन्द्रकौर पत्नी लखविन्द्रसिंह।

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र बलदेवसिंह जाति कम्बोज निवासी चक 17 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. लखविन्द्रसिंह पुत्र बलदेवसिंह जाति कम्बोज निवासी चक 17 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. बलदेवसिंह पुत्र कर्मसिंह जाति कम्बोज निवासी चक 17 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. उप—पंजीयक खाजूवाला जिला बीकानेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री दिलीपसिंह़ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

आदेश दिनांक :— 03.09.2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.01.06 20:27:09 IST
Reason: SelfAttested

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर [illegible] धारा 212 आरटीए पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त [illegible] दादा के नाम चक 17 के.वाई.डी.(सी) के मु0नं0 117/43 के किला [illegible] तादादी 01.00 बीघा एवं मु0नं0 117/51 के किला नं0 11 ता 13, 14 में 16 बि[illegible], 17 में 11 बिस्वा, 18 [illegible] बिस्वा, 19 में 19 बिस्वा, 20 में 14 बिस्वा तादादी 06.09 बीघा कुल तादादी 07.09 बीघा कमाण्ड खातेदारी दर्ज कागजात रही है।

अप्रार्थी सं0 1 व 3 के अस्वस्था का फायदा उठाकर उक्त भूमि को येन–केन आगे बेचान करने पर आमादा है जबकि उसको ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। क्योंकि उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि है और समस्त परिवार का हितनिहित है और अप्रार्थी सं0 3 उम्रदराज है जो रहन, बैय नहीं करें। प्रार्थीगण हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत उक्त भूमि के जन्म से अधिकारी है तथा अपने पिता के हको तक की भूमि अपने नाम रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के विधिक अधिकारी है। प्रार्थीगण पारिवारिक समझौते एवं वाहमी बंटवारे अनुसार कब्जेकाश्त शुदा खातेदारी भूमि वाके चक 17 के.वाई.डी.(सी) के मु0नं0 117/43 के किला नं0 15 तादादी 01.00 बीघा एवं मु0नं0 117/51 के किला नं0 11 ता 13, 14 में 16 बिस्वा, 17 में 11 बिस्वा, 18 में 09 बिस्वा, 19 में 19 बिस्वा, 20 में 14 बिस्वा तादादी 06.09 बीघा कुल तादादी 07.09 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि को अप्रार्थीगण रहन, बैय, मुन्तकिल न करे और अपने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण चाही गयी।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी सं0 1 व 3 तलवी उपरान्त मय अधिवक्ता हाजिर आये और अप्रार्थीगण 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। अप्रार्थी सं0 1 व 3 ने अपना जवाब प्रा0 पत्र पेशकर उक्त प्रा0पत्र के तमाम कथनों को निराधार झूठे व बनावटी बताया और साथ ही लिखा की उक्त भूमि अप्रार्थी सं0 3 की स्वअर्जित सम्पति है। जिसपर स्वंय काबिज काश्त है तथा यही जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है। इसलिए प्रार्थना पत्र सारहीन है खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी । अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि उक्त भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी है तथा दादा पारिवारिक समझौते एवं बंटवारे अनुसार 4 बीघा भूमि का कब्जा प्रार्थीगण को दिया था। जिसको प्रार्थीगण ने लाखों रूपये खर्च कर कृषि योग्य बनाया । तो अप्रार्थी सं0 1 के मन में लालच आ गया और वह अप्रार्थी सं0 3 को बरगलाकर समस्त भूमि को बेचान करने पर आमदा है। जबकि दादा काफी वृद्ध है। स्वस्थचित नहीं है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के मुताबिक प्रार्थीगण पैतृक भूमि में जन्म से अपना अधिकार रखते है। इसलिए दौराने वाद उक्त भूमि रहन बैय न हो इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा की जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रतिउत्तर में बताया कि उक्त भूमि अप्रार्थी सं0 3 की स्वअर्जित सम्पति है और उसके जीवनकाल में पौत्र–पौत्रियों को कोई हक अधिकार नहीं है। अप्रार्थी की जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन कृषि भूमि है। उक्त स्थगन की आड़ में वृद्ध अप्रार्थी को भूमि से बेदखल किया जा सकता है। जो एक रिकॉर्डेड खातेदार के हको पर कुठाराघात है। इसलिए प्रार्थना पत्र सारहीन है खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.01.06 20:27:09 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया । तो पाया कि प्रा0पत्र पारिवारिक समझौते व व्यवस्था अनुसार प्रार्थीगण दादा की भूमि में अपने हिस्से तक कुल 4 बीघा भूमि को रेहन बैय नहीं करने और उनके हको से मरहूम नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। जबकि उक्त भूमि अप्रार्थी सं0 3 की स्वअर्जित सम्पति है। वह अपने जीवनकाल में उपयोग–उपभोग ले सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ स्थगन प्राप्त नहीं कर सकते प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण सुविधा का संतुलन, अपूतर्नीय क्षति का बिन्दू साबित करने में विफल रहे है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र कतई स्वीकार करने योग्य नहीं है और प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मिथलेश कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.01.06 20:27:09 IST
Reason: SelfAttested